05/12/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० आये। प्रार्थी वकील ने निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण कि विरुद्ध रूप से नाजिल हैं कि कुछ भी उपस्थित नहीं है के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बेचान करने पर उतारू है इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के दावे वाद का अन्तिम निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रिकोर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थी के दावे वाद का अन्तिम निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रिकोर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु आराजी ख० नं० 443/0.51 हे० वाके ग्राम बीजवाड़ चौहान तह० मुण्डावर पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई नम्बर से मय मूल दावे वाद के साथ सलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)